स्वैच्छिक संगठनों के अनुदान में वृध्दि

2237. **श्री राम नरेश यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "महिलाओं का विकास" कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धन, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को रोजगार दिलाने के काम में लगी हुई स्वैच्छिक संगठनों को दिए जा रहे अनुदान में वृध्दि करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए चालू वर्ष में कितनी धनराशी का प्रावधान किया गया है; और

(ग) महिलाओं के तथा उनके शोषण को रोकने तथा उनके विकास के लिए सरकार ने क्या-क्या योजनाएं बनायी है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री उल्लमभाई पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान स्वयंसेवी एजेन्सियों को सहायता के रूप में 4.00 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई जानी है । महिलाओं के लिए प्रशिक्षण-सह-रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 के लिए खर्च में कोई वृध्दि नहीं की जानी है । आबंटन 4.00 करोड़ रुपये ही है ।

(ग) ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण परिवारों की महिला सदस्यों की ओर ध्यान दिया जाता है ताकि उन्हें एक समूह में सतत आधार पर स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराये जा सके । महिलाओं को शोषण से संरक्षण प्रदान करने और उनके विकास के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा बनाई गई योजनाओं के बारे में एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

महिला और बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के लिए बनाई गयी निम्नलिखित योजनाओं का ब्यौरा

(क) *कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल :*

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल बनाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(ख) *महिलाओं के लिए प्रशिक्षण-सह-रोजगार केन्द्र :*

रोजगार और आय सृजन की गतिविधियों की योजना के अन्तर्गत गैर-परम्परागत क्षेत्रों में महिलाओं के प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है । इलेक्ट्रानिक्स, घड़ियां बनाने/उनके पुर्जे जोड़ने, सिलाई तथा जिल्दसाजी जैसे व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(ग) *प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के गहन पाठ्यक्रम (केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित) :*

बड़ी संख्या में पात्र और जरूरतमंद महिलाओं के लिए रोजगार के नए साधन तैयार करने के उद्देश्य से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1958 में प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के गहन पाठ्यक्रम की योजना शुरू की गई थी ।

(घ) *सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम (केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित) :*

सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, जरूरतमन्द महिलाओं जैसे दीन-हीन, विधवा, विस्थापित, आर्थिक रूप से पिछड़ी और शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं को "काम और मजदूरी" मुहैया कराता है ।

(ङ) *रोजगार कार्यक्रमों को सहायता :*

योजना के अन्तर्गत कृषि, डेयरी उद्योग, लघु पशुपालन, मछली पालन, खादी तथा ग्रामोद्योग, हथकरघा आदि जैसे विविध क्षेत्रों, जहां महिलाएं उत्याधिक संख्या में कार्यरत हैं के लिए महिलाओं को रोजगार में सहायता प्रदान की जा रही है । योजना के अन्तर्गत निर्धनतम, दीन-हीन और सम्पत्तिहीन महिलाओं की ओर ध्यान दिया जाता है ।

(च) *जन-जागरूकता सृजन परियोजनाएं (केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित) :*

जन-जागरूकता सृजन परियोजनाएं ग्रामीण और गरीब महिलाओं के एक साथ एकत्र होने और अपने अनुभव और विचारों का आदान-प्रदान करने का मंच है तथा इस प्रकार आपसी संबधों को विकसित किया जाता है और उनकी समस्यायें के समाधान के साथ-साथ उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है ।

(छ) *केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की मार्फत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान :*

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित एक स्वायत्तशासी निकाय है और यह महिलाओं, बच्चों और विकलांगों के कल्याण हेतु समाज कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है ।

(ज) *अल्पावास गृह :*

इस योजना के अन्तर्गत अल्पावास स्थापित करने और उन्हें चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान सहायता दी जाती है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसी महिलाओं और बालिकाओं को संरक्षण और पुनर्वास प्रदान करना है, जो पारिवारिक समस्याओं, किराए के बोझ, सामाजिक बहिष्कार,

शोषण अथवा अन्य किसी कारण जो उनके सम्मुख किसी प्रकार का संकट उत्पन्न करे, से सामाजिक और नैतिक संकट का सामना कर रही है ।

(ख) *महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षा कार्य :*

महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए उनके उत्थान और बेहतर जीवन यापन के लिए प्रोपेगंडा, प्रचार और अनुसंधान कार्य जैसी मदों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है । योजना के अन्तर्गत महिलाओं पर होने वाली हिंसा/अत्याचारों के विशेष पहलुओं पर हैण्डबिल, पुस्तिकाएं, विज्ञापन बोर्डों, पोस्टरों, नारों आदि जैसी प्रकाशन और प्रचार सामग्रियों जैसे शिक्षा कार्य की विभिन्न मदों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ।

महिला विकास कार्यक्रम की सफल परियोजनाओं को दोहराने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता ।

राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोगिक आधार पर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के विशिष्ट उद्देश्य से 1984 में महिला विकास परियोजना, राजस्थान में शुरू की गई थी ताकि वे अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझ सकें और उसमें सुधार ला सकें । परियोजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी स्तर पर महिलाओं की प्रभावशाली भागीदारी के लिए महिलाओं के विकास हेतु नीति ढांचा और उसके कार्यान्वयन के तरीके तैयार करना था ।

अनुसन्धान :

"अनुसंधान एवं प्रकाशन हेतु अनुदान सहायता" की अनुसंधान संस्थागत क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में अध्ययनों के लिए अनुसंधान अनुदान दिया जाता है । अनुदान में महिला कल्याण और बाल विकास के क्षेत्र में अभिनव कार्यक्रमों और गतिविधियों के विकास के लिए सामाजिक अनुसंधान के सभी पहलू और शैक्षिक संगोष्ठियां/कार्यशालाएं शामिल हैं ।

नई पहल :

(क) विभाग ने हाल ही में 10 पुस्तिकाओं में **कानूनी साक्षरता मैन्युअल** प्रकाशित किया है जिसका उद्देश्य महिलाओं को कानूनी साक्षरता में सुधार लाने और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने में सशक्त बनाने के एक प्रयास के रूप में साधारण भाषा में महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनों को स्पष्ट करना है ।

(ख) सरकार ने **राष्ट्रीय महिला आयोग** का गठन किया है जो कि महिलाओं के लिए विभिन्न कानूनों और सुरक्षा उपायों तथा उनकी प्रभावशीलता की जांच कर रहा है । इसके अतिरिक्त आयोग महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की शिकायतों पर सुनवाई कर रहा है ।

(ग) चूंकि ऋण को महिलाओं के आर्थिक विकास का एक प्रमुख तथ्य माना गया है, सरकार ने हाल ही में **राष्ट्रीय महिला कोष** की स्थापना की है जो कि गरीब महिलाओं, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं को गैर-सरकारी संगठनों की मार्फत 12% वार्षिक की दर पर उत्पादन ऋण प्रदान करेगा ।

Augmentation of Drought Prone Areas in Karnataka

2238. SHRI B. K. HARIPRASAD : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the Karnataka Government has made a plea to the Centre for Augmentation of Drought Prone Areas Programme in the State by inclusion of 16 new Talukas in the DPAP, if so, the details thereof; and

(b) if so, whether Government would expedite its clearance so that work on DPAP in the new Talukas can be started in the right earnest?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR) : (a) Yes, Sir. The Government of Karnataka have proposed the inclusion of 16 new Talukas in the Drought Prone Areas Programme (DPAP). The details are given in the enclosed Statement (*See* below).

(b) A Technical Committee has been set up which will also examine the proposals of all State Governments including Karnataka for inclusion of additional areas under DPAP.

Statement

List of New Talukas Proposed by the Government of Karnataka for Inclusion under DPAP.

	Taluka	*District*
(i)	Kanakapura	Bangalore (Rural)
(ii)	Deddaballapura	Bangalore (Rural)
(iii)	Raibag	Belgaum
(iv)	Ballary	Ballary
(v)	C. Mangalur	C. Mangalur
(vi)	Hiriyur	Chitradurga
(vii)	Jewangi	Gulbarga
(viii)	Arasikere	Hassan
(ix)	Channarayapatna	Hassan
(x)	Nagamangala	Mandya